समाचार

कोविड–19 के प्रोटोकाल व नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराएं

(सभी जोन में नियमों का पालन कराने जुटा रहा निगम अमला, की गई अर्थदण्ड की कार्यवाही)

कोरबा 18 अगस्त 2020 –कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने निगम के समस्त जोन कमिश्नरों एवं उप जोन प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड–19 के प्रोटोकाल तथा इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कड़ाई के साथ कराया जाना सुनिश्चित करें। बिना मास्क पहनें भ्रमण करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। इधर आज निगम के सभी जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला नियमों का पालन कराने में जुटा रहा, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई।

कार्यालय कलेक्टर कोरबा द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों, स्टैण्ड अलोन, एकल दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसर में आवश्यक एवं गैरआवश्यक सामग्री का विक्रय करने वाली दुकानें, प्रतिष्ठान प्रातः 09 बजे से शाम 07 बजे तक निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हुए खुलेंगी। इन दुकानों में बिना मास्क प्रवेश वर्जित रहेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने सभी जोन कमिश्नरों व उप जोन प्रभारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार की दुकान व प्रतिष्ठान खुले पाए जाने पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने व बिना मास्क भ्रमण करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें, साथ ही नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित दुकान को सील करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

आवश्यक सामग्री क्रय हेतु केवल 01 व्यक्ति ही बाहर जाएं– निगम द्वारा आमजन से अपील की गई है कि आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु निर्धारित समय के अंदर परिवार से केवल एक ही व्यक्ति, एक बार ही सीमित समय के लिए बाहर निकले, बाजार व दुकानें बंद होने के पश्चात अपने घर पर ही रहें तथा अनावश्यक विचरण न करें। छुट अवधि में आवश्यक वस्तुएं दवा, सब्जी, फल या अन्य सामग्री खरीदी के समय मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात दो गज की दूरी बनाकर रखें, अन्यथा इन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अर्थदण्ड के साथ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

अन्य राज्य व विदेश से आने वालों की सूचना दें– यदि किसी परिवार में या आसपास पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य अथवा विदेश से आया है तो इसकी सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07759–228546 में दें, साथ ही संबंधित जोन कार्यालय में भी इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दें। जानकारी छुपाने पर संबंधित व्यक्ति तथा परिवार को संस्थागत क्वारन्टाईन सेंटर में रखने के साथ ही एफ.आई.आर. की कार्यवाही भी की जाएगी। निगम के कोरबा व सर्वमंगला जोन के जोन कमिश्नर श्री एम.के.वर्मा मोबाईल नम्बर 97520–94116, टी.पी.नगर जोन के जोन कमिश्नर श्री आर.के.भोजासिया मोबा.नं. 82698–98918, कोसाबाड़ी व रविशंकर शुक्ल जोन के जोन कमिश्नर श्री आर.के.चौबे मोबा. नं. 94255–32119, बालको जोन के जोन कमिश्नर श्री एम.एन.सरकार मोबा.नं. 77730–07177, दर्री जोन के जोन कमिश्नर श्री ए.के.शर्मा मोबा.नं. 77730–07189 तथा बांकीमोंगरा जोन के जोन कमिश्नर श्री भूषण उरांव मोबा.नं. 97520–94139 पर यह सूचना दी जा सकती है। इसके साथ ही यदि परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से देवें।

होम क्वारन्टाईन के नियमों का कड़ाई से पालन करें–जिस व्यक्ति अथवा परिवार को होम क्वारन्टाईन में रखा गया है, वे शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, अपने निवास में ही रहें, बाहर विचरण न करें तथा

निगरानी दल को उनके निरीक्षण के दौरान सहयोग करें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने के साथ ही एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जाएगी।

<u>नियमों का पालन कराने में जुटा निगम का अमला—</u> प्राप्त निर्देशों के परिपालन में आज निगम के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला नियमों का पालन कराने में जुटा रहा। मास्क न पहनने वालों व बेवजह घूमने वालों के साथ—साथ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई तथा उन्हें कड़ी समझाईश दी गई कि वे घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनें, बेवजह न घूमें, बाजारों, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें। दुकानों प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर निगम अमले ने सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की तथा उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी।